

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा  
(निर्णय बड़जलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 11/2022/अपील/एलआरएक्ट/कोटा  
दायरा दिनांक: 03.03.2022  
अन्तर्गत धारा: 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुगम सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम जगपुरा तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा

...अपीलांत

बनाम

1. जिला वन विभाग जरिये सहायक वन संरक्षक, कोटा, जिला कोटा
2. तहसीलदार लाड़पुरा, जिला कोटा

... रेस्पोंडेन्ट

उपस्थित : श्री नरेन्द्र सिंह राजावत अभिभाषक -अपीलांत  
पेरोकार सरकार - रेस्पोंड

::निर्णय::

दिनांक 15.05.2025

अपीलांत ने न्यायालय जिला कलक्टर कोटा (संक्षेप में प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 55/2017 (अपील) बउनवान सुरेन्द्र सिंह बनाम जिला वन विभाग जरिये सहायक वन संरक्षक, कोटा में पारित निर्णय दिनांक 31.03.2021 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरुद्ध यह द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय में पेश की गई।

1. प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक कोटा द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी लाड़पुरा की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्त के द्वारा नाका जगपुरा वन खण्ड खेडा जगपुरा ग्राम जगपुरा के ख0 नं0 236 रकबा 0.045 है0 (100 X 50 फीट) वन भूमि पर कब्जा करने के कारण सहायक वन संरक्षक कोटा द्वारा अपने आदेश दिनांक 07.09.2017 से अपीलान्त को अतिक्रमी मानते हुए भू-राजस्व की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए उक्त भूमि से बेदखली किया जाकर 500/- रू0 जुर्माने का आदेश पारित किया गया। अपीलार्थी के द्वारा उक्त आदेश दिनांक 07.09.2017 के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत अपील न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा को प्रस्तुत

15/5/2025  
अति. स. आयुक्त  
कोटा

किये जाने पर उक्त विवादित भूमि वन विभाग की होना मानते हुए अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित होना प्रकट करते हुए प्रस्तुत अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 31.03.2021 से खारिज की गई।

2. अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा के निर्णय दिनांक 31.03.2021 से अप्रसन्न होकर अपीलार्थी द्वारा भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत द्वितीय अपील न्यायालय हाजा में पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय, जेरअपील विधि न्याय एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय जेर अपील में विवादित भूमि/भूखण्ड के संबंध में तत्कालीन ग्राम पंचायत रानपुर द्वारा अपीलान्त के पक्ष में जारी विक्रय विलेख/पट्टे दिनांक 29.03.1964 पर मात्र खसरा नम्बर उल्लेखित न होने के आधार पर विवादित भूमि/भूखण्ड को खसरा नम्बर 236 की 0.45 हैक्टर भूमि यह मानकर गम्भीर तथ्यात्मक त्रुटि करते हुये आदेश जेर अपील पारित कर दिया और विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 07.09.17 को यथावत रख दिया। जिसमें अपीलान्त को विचारण न्यायालय ने अतिक्रमी मानते हुये 500/- रुपये जुर्माना से दण्डित किया है। जबकि सच्चाई यह है कि स्वयं विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 07.09.17 के साथ जो दस्तावेजात संलग्न किये हैं और विचारण न्यायालय की पत्रावली में है वे समस्त दस्तावेजात अपीलान्त द्वारा खसरा नम्बर 236 की 0.45 हैक्टर भूमि के बाबत ग्राम पंचायत रानपुर द्वारा जारी किये गये विक्रय विलेख दिनांक 29.03.64 के आधार पर सिविल न्यायालय में रेस्पोडेन्ट के विरुद्ध प्रस्तुत किये गये घोषणा स्थायी निषेधाज्ञा व आदेशात्मक निषेधाज्ञा के वाद से सम्बन्धित दस्तावेजात हैं। जिस वाद में स्वयं रेस्पोडेन्ट क्रम 1 वन विभाग ने वाद में विचारण न्यायालय वन विभाग द्वारा लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत जारी अपने आदेश दिनांक 07.09.17 की प्रति प्रदर्श डी- 1 के रूप में पेश कर यह स्वीकार किया है कि खसरा नम्बर 236 रकबा 0.45 हैक्टर की भूमि वही भूमि है जिस भूमि बाबत ग्राम पंचायत रानपुर ने अपीलान्त के पक्ष में विक्रय विलेख जारी किया था, उक्त सिविल वाद में स्वयं रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के अधिकारी ने जिरह में स्वयं स्वीकार किया है कि उक्त भूखण्ड ग्राम पंचायत रानपुर द्वारा विक्रय किया गया और भूखण्ड खसरा नम्बर 236 का भाग है, और उभय पक्ष की बहस सुनकर सिविल न्यायालय मुन्सिफ दक्षिण ने अपने आदेश व डिक्री दिनांक 03.03.20 में पृष्ठ संख्या 11 पर यह उल्लेखित किया गया है कि हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी पक्ष वन विभाग की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया गया तो प्रतिवादीगण ने मौखिक साक्ष्य के रूप में गवाह डी डबल्यू 1 संजय नगर व डी डबल्यू 2 तरुण नागर को न्यायालय में परीक्षित

अधीनस्थ न्यायालय  
कोटा

करवाया है एवं दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में दस्तावेज प्रदर्श डी 1 लगायत डी- 6 विवादित भूखण्ड के सन्दर्भ में प्रदर्शित करवाये गये हैं। उक्त गवाह में मौखिक परीक्षण में कथन किया है कि क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा सुरेन्द्र सिंह के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत खसरा नम्बर 236 की वन भूमि पर अतिक्रमण करने के कारण कार्यवाही कर रखी है। उक्त भूमि गैर मुमकिन जंगलात वन विभाग के नाम दर्ज है तथा वादी/अपीलान्ट द्वारा तथाकथित पट्टे के आधार पर प्रतिवादी क्रम 3 व 4 राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से कार्यालय सक्षम अधिकारी भूमि अवाप्ति एन.एच. 12 से मुआवजा राशि 16,12,930/- रुपये प्राप्त कर लिये गये है एवं अवाप्त राशि प्राप्त करने के पश्चात् वादी/अपीलान्ट का भूमि पर कोई वास्ता नहीं रहा है। ठीक इसी प्रकार उक्त आदेश एवं डिक्री के पृष्ठ संख्या 13 पर न्यायालय का यह कथन है कि गवाह डी डबल्यू-1 संजय नागर ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि वादी/अपीलान्ट को उक्त विवादित भूखण्ड से मुआवजा मिलने के बाद बेदखल किया जा चुका है, जिसके समर्थन में प्रदर्श डी-1 आदेश आर एल आर दिनांक 07.09.17 प्रदर्शित करवाया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश जेरअपील में अपीलान्ट के समस्त तथ्यों का उल्लेख किया गया है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 07.09.2017 को यथावत रखने का आदेश पारित किया गया जो त्रुटिपूर्ण हैं। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.03.2021 अपास्त किया जावे तथा विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 07.09.2017 को भी निरस्त फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पों को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण में बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं रेस्पों पैरोकार सरकार सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील में उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय की पत्रावली में जो दस्तावेज उपलब्ध हैं, वे समस्त दस्तावेजात अपीलान्ट द्वारा खसरा नम्बर 236 की 0.45 हैक्टर भूमि के बाबत ग्राम पंचायत रानपुर द्वारा जारी किये गये विक्रय विलेख दिनांक 29.03.64 के आधार पर सिविल न्यायालय में रेस्पोंडेन्ट के विरुद्ध प्रस्तुत किये गये घोषणा स्थायी निषेधाज्ञा व आदेशात्मक निषेधाज्ञा के वाद से सम्बन्धित दस्तावेजात हैं। जिस वाद में स्वयं रेस्पोंडेन्ट क्रम 1 वन विभाग ने वाद में विचारण न्यायालय वन विभाग द्वारा लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत जारी अपने आदेश दिनांक

माह  
अति. स. आयुक्त  
कंस

07.09.17 की प्रति प्रदर्श डी- 1 के रूप में पेश कर यह स्वीकार किया है कि खसरा नम्बर 236 रकबा 0.45 हैक्टर की भूमि वही भूमि है जिस भूमि बाबत ग्राम पंचायत रानपुर ने अपीलान्ट के पक्ष में विक्रय विलेख जारी किया था, उक्त सिविल वाद में स्वयं रेस्पोंडेंट क्रम 1 के अधिकारी ने जिरह में स्वयं स्वीकार किया है कि उक्त भूखण्ड ग्राम पंचायत रानपुर द्वारा विक्रय किया गया और भूखण्ड खसरा नम्बर 236 का भाग है और उभय पक्ष की बहस सुनकर सिविल न्यायालय मुन्सिफ दक्षिण ने अपने आदेश व डिक्री दिनांक 03.03.20 में पृष्ठ संख्या 11 पर यह उल्लेखित किया गया है कि हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी पक्ष वन विभाग की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया गया तो प्रतिवादीगण ने मौखिक साक्ष्य के रूप में गवाह डी डबल्यू 1 संजय नगर व डी डबल्यू 2 तरुण नागर को न्यायालय में परीक्षित करवाया है एवं दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में दस्तावेज प्रदर्श डी 1 लगायत डी- 6 विवादित भूखण्ड के सन्दर्भ में प्रदर्शित करवाये गये हैं। उक्त गवाह में मौखिक परीक्षण में कथन किया है कि क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा सुरेन्द्र सिंह के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत खसरा नम्बर 236 की वन भूमि पर अतिक्रमण करने के कारण कार्यवाही कर रखी है। उक्त भूमि गैर मुमकिन जंगलात वन विभाग के नाम दर्ज है तथा वादी/अपीलान्ट द्वारा तथाकथित पट्टे के आधार पर प्रतिवादी क्रम 3 व 4 राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से कार्यालय सक्षम अधिकारी भूमि अवाप्ति एन.एच. 12 से मुआवजा राशि 16,12,930/- रुपये प्राप्त कर लिये गये हैं एवं अवाप्त राशि प्राप्त करने के पश्चात् वादी/अपीलान्ट का भूमि पर कोई वास्ता नहीं रहा है। ठीक इसी प्रकार उक्त आदेश एवं डिक्री के पृष्ठ संख्या 13 पर न्यायालय का यह कथन है कि गवाह डी डबल्यू-1 संजय नागर ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि वादी/अपीलान्ट को उक्त विवादित भूखण्ड से मुआवजा मिलने के बाद बेदखल किया जा चुका है, जिसके समर्थन में प्रदर्श डी-1 आदेश आर एल आर दिनांक 07.09.17 प्रदर्शित करवाया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश जेरअपील में अपीलान्ट के समस्त तथ्यों का उल्लेख किया गया है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 07.09.2017 को यथावत रखने का आदेश पारित किया गया जो त्रुटिपूर्ण हैं। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.03.2021 अपास्त किया जावे तथा विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 07.09.2017 को भी निरस्त फरमाया जावे।

5. रेस्पोंडेंट परोकार सरकार ने अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित होना प्रकट किया गया।


*mitra*  
मिति 15/5/2025

6. हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोंडेंट परोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेख एवं आलौच्य जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक कोटा द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी लाडपुरा की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के द्वारा नाका जगपुरा वन खण्ड खेड़ा जगपुरा ग्राम जगपुरा के ख० नं० 236 रकबा 0.045 है० (100 X 50 फीट) वन भूमि पर कब्जा करने के कारण सहायक वन संरक्षक कोटा द्वारा अपने आदेश दिनांक 07.09.2017 से अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुए भू-राजस्व की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए उक्त भूमि से बेदखली किया जाकर 500/- रू० जुर्माने का आदेश पारित किया गया। अपीलार्थी के द्वारा उक्त आदेश दिनांक 07.09.2017 के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत अपील न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा को प्रस्तुत किये जाने पर उक्त विवादित भूमि वन विभाग की होना मानते हुए अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित होना प्रकट करते हुए प्रस्तुत अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 31.03.2021 से खारिज की गई। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलार्थी का अधीनस्थ न्यायालय एवं न्यायालय हाजा में मुख्य तर्क रहा है कि अपीलांट के स्वामित्व एवं कब्जे का एक भूखण्ड पैमाईशी 50 गुणा 50 कुल क्षेत्रफल 2500 वर्गफुट वाके ग्राम जगपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित है, उक्त भूखण्ड जरिये विक्रय विलेख दिनांक 29.03.1964 को ग्राम पंचायत रानपुर द्वारा अपीलांट को विक्रय किया गया था। उक्त वर्णित अपीलांट का भूखण्ड खसरा सं० 236/1 की 1.78 है० भूमि वाके ग्राम खेड़ा जगपुरा तहसील लाडपुरा का हिस्सा है। उक्त खसरा संख्या 236/1 रेस्पोंडेंट की वन भूमि खसरा सं० 236 की 10.67 है० वन भूमि का हिस्सा है, जो कि नामांतरकरण संख्या 683 से सिवायचक खाता सरकार रेवेन्यू रिकॉर्ड में अमल दरामद है। इसके बावजूद अपीलांट के स्वामित्व के उक्त वर्णित भूखण्ड को खसरा सं० 236 की भूमि मानते हुए आदेश दिनांक 07.09.2017 पारित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा के द्वारा निर्णय दिनांक 31.03.2021 से उक्त निर्णय को यथावत रखा गया। उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय अनुसार "पत्रावली में संलग्न ग्राम पंचायत के उक्त पट्टे से यह साबित नहीं हो रहा है कि यह पट्टा खसरा सं० 236 की 10.67 है० में जारी किया हुआ है यदि जारी भी किया गया है तो भी आबादी भूमि का नहीं होने से वह अवैध है" उचित प्रकट होता है। अपीलांट द्वारा कहीं भी यह वर्णित नहीं किया गया कि उसका विवादित पट्टा गै०मु० आबादी से संबंधित है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे सिवायचक अथवा वन विभाग की भूमि पर जारी भी कर

mity  
 25/5/2025  
 आ.स. त. आयुक्त  
 कोटा

दिये जाये तो भी वह पट्टा अवैध की श्रेणी में आता है। अपीलांट द्वारा मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य से यह सिद्ध नहीं किया जा सका कि उसका कब्जा वन विभाग की भूमि पर नहीं है। अतः अपीलांट द्वारा अपील मीमो के तथ्यों को किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.03.2021 में किसी प्रकार से हस्तक्षेप की गुंजाईश प्रकट नहीं होता है। लिहाजा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

7. निर्णय आज दिनांक 15.05.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे इजलास सुनाया गया।

  
(ममता कुमारी तिवारी)  
अति०संभागीय आयुक्त  
अति० संभागीय आयुक्त